

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल  
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
रैक्स संख्या - 8320



Corporate Tax & GST Cell  
11<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow-  
226001  
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक 149/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020

दिनांक 27/03/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

**विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत सैलरी से होने वाली आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में।**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत सैलरी से होने वाली आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती करने की व्यवस्था दी गई है।

धारा 192 के तहत वेतन के वास्तविक भुगतान के समय टी०डी०एस० काटा जाता है न कि वेतन के उपार्जन के दौरान एवं उक्त कटौती को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आहरण-वितरण अधिकारी की होती है। धारा 192 कोई एक टी०डी०एस० दर निर्दिष्ट नहीं करता है। टी०डी०एस० की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर स्लैब के अनुसार की जाएगी, जिसके लिए वेतन को भुगतान किया जाता है।

सर्वप्रथम, कर्मचारी के वेतन की गणना लागू होने वाली सभी कटौतियों को ध्यान में रखकर की जाती है और फिर कर की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर की दर के अनुसार की जाती है। आयकर की गणना आमतौर पर नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में की जाती है। इस प्रकार पूरे साल की कर-योग्य आय पर परिकलित आयकर पर लागू दर से Cess (वर्तमान में 4% Health & Education cess) जोड़ते हुए कुल आयकर की गणना की जाती है। उपरोक्त कुल आयकर की राशि को 12 से विभाजित करके प्रतिमाह वेतन से काटे जाने वाले आयकर की राशि की गणना की जाती है। यह नियम उन कर्मियों के लिए भी लागू होता है जिनके पास PAN नहीं है। कर्मियों के पास PAN न होने की स्थिति में टी०डी०एस० को 20% की दर से काटा जाएगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन से हुई कर-योग्य आय पर आयकर वर्ष की शुरुआत में परिकलित आय कर से कम या ज्यादा होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त या कम राशि को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मियों के बढहोतरी के माह से कटौती की राशि को बढाकर या घटाकर समायोजित किया जा सकता है। यदि कर्मिक द्वारा अग्रिम कर के रूप में कोई भुगतान किया गया है, तो उसे टी०डी०एस० की गणना के लिए समायोजित किया जा सकता है।


वित्तीय वर्ष 2020-21 (तदनु रूप कर निर्धारण वर्ष 2021-22) के बजट में individuals की आय पर आयकर की गणना हेतु एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है, जिसमें करदाता को वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई कर स्लैब के अनुसार घटी हुई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प होगा। परन्तु यदि करदाता नई

स्लैब का विकल्प चुनता है तो ऐसे में उसे कई ऐसी कटौतियाँ, जो पुराने स्लैब में उपलब्ध हैं, का लाभ छोड़ना होगा। पुरानी एवं नई आयकर स्लैब का विवरण Annexure - I में संलग्न है।

साथ ही, यदि कार्मिक की कोई भी Business income नहीं है, तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में यह चुनाव कर सकता है कि वह पुरानी आय कर स्लैब से आयकर का भुगतान करना चाहता है अथवा नये स्लैब के विकल्प को चुनना चाहता है एवं टी0डी0एस0 के लिए तदनुसार अपना संशोधित आकलन आहरण एवं वितरण अधिकारी को हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर सकता है।

अतः समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2020-21 से उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों से नये/पुराने स्लैब का विकल्प लेते हुए, आयकर की गणना कर, समान राशि की मासिक किश्तों में धारा 192 के अन्तर्गत आयकर की कटौती एवं उसका सरकार को समयबद्ध निक्षेपण सुनिश्चित करें।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में यदि कोई त्रुटि होती है तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।



(ए.के. गुप्ता)

अधिशायी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा-निर्देश सं०: 149/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (एस0एल0डी0सी0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (औ0 सं0), उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, पारेषण क्षेत्र-मध्य/पश्चिम/दक्षिण पूर्व/उत्तर पूर्व/दक्षिण पश्चिम/दक्षिण मध्य उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/प्रयागराज/मेरठ/आगरा।
10. अधिशायी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए.के. गुप्ता)

अधिशायी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

**ANNEXURE-I**

**Income Tax Slabs for individuals below 60 years of age under new tax regime – Applicable to  
FY 2020-21 (AY 2021-22) onwards**

As per New Tax Payers Regime a taxpayer can now choose to opt for the new tax slab for FY 2020-21 AY 2021-22

| <b>Income Tax Slab for New FY 2020-21</b> | <b>New Tax Slab</b> | <b>Existing Tax Slab</b> |
|---|---------------------|--------------------------|
| Upto Rs 2.5 Lakhs                         | Exempt              | Exempt                   |
| Rs 2.5- Rs 5 Lakhs                        | 5%                  | 5%                       |
| Rs 5- Rs 7.5 Lakhs                        | 10%                 | 20%                      |
| Rs 7.5 -Rs 10 Lakhs                       | 15%                 | 20%                      |
| Rs 10 - Rs 12.5 Lakhs                     | 20%                 | 30%                      |
| Rs 12.5 - Rs 15 Lakhs                     | 25%                 | 30%                      |
| Above Rs 15 Lakhs                         | 30%                 | 30%                      |

- The tax calculated on the basis of such rates will be subject to health and education cess of 4%.
- Any individual opting to be taxed under the new tax regime from FY 2020-21 onwards will not be eligible to claim the following tax benefits:
  1. Leave travel concession as contained in clause (5) of section 10;
  2. House rent allowance as contained in clause (13A) of section 10;
  3. Some of the allowance as contained in clause (14) of section 10;
  4. Standard deduction of Rs. 50,000 u/s 16;
  5. Employment/professional tax deduction as contained in section 16;
  6. Interest under section 24 in respect of self-occupied or vacant property referred to in sub-section (2) of section 23. (Loss under the head income from house property for rented house shall not be allowed to be set off under any other head and would be allowed to be carried forward as per existing law);
  7. Any deduction under chapter VI-A ; [except 80CCD(2) - NPS Contribution by the employer]
  8. Others as prescribed

The option shall be exercised for every previous year where the individual has no business income, and in other cases the option once exercised for a previous year shall be valid for that previous year and all subsequent years.